न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सु श्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 534 सन 2020
अनवान :--

1. स्वामी रामदास पुत्र श्री दीपाराम जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. लालचन्द 3. रतनलाल 4. कृष्णलाल 5. भादरमल 6. ओमप्रकाश पि0 मामचन्द जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :- श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 08/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 235/235 की कुल 12.7770हैक में वादी के 3.19425 में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम रामेश्वर पुत्र दीपाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , संरपच ग्राम पंचायत खूईया का प्रमाण पत्र सभी में वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र दीपाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रामेश्वर पुत्र दीपाराम के स्थान पर स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 235/235 की कुल 12.7770हैक में वादी के 3.19425 में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम रामेश्वर पुत्र दीपाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , संरपच ग्राम पंचायत खूईया का प्रमाण पत्र सभी में वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र दीपाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 235/235 की कुल 12.7770हैक्ट में वादी के 3.19425 में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैजिसमें वादी का नाम रामेश्वर पुत्र दीपाराम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र दीपाराम दर्ज किया गया है सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम निराणाराम वल्द मधाराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत ललानबास उतरादा के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का नाम निराणाराम वल्द मधाराम वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/रिपोर्ट के आधार पर वादी का सही नाम स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम होना प्रतित होता है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पैरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जवाव के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही करना /सरंपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत खूईया के प्रमाण पत्र तथा पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 235/235 की कुल 12.7770हैक्ट भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा दर्ज है में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र दीपाराम अंकित है के स्थान पर स्वामी रामदास उर्फ रामेश्वर पुत्र दीपाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

पीठ पीठासीन :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

उनवान :-

1. स्वामी रामदास पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

2. लालचन्द 3. रतनलाल 4. कृष्णलाल 5. मादूराम 6. ओमप्रकाश पि0 मानचन्द जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 534 सन 2020 निर्णय दिनांक- 08/09/2020

आज यह वाद पुष्प श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति मे अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यो के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 235/235 की कुल 12.7770हैक्ट भूमि मे वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा दर्ज है मे वादी का नाम रामेश्वर पुत्र दीपाराम अंकित है के स्थान पर स्वामी रामदास उर्फ रामेश्वर पुत्र दीपाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 0/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner